तहसील दिवस प्रार्थना पत्रों के कम्प्यूटरीकरण की योजना

तहसील दिवस प्रत्येक मंगलवार को जनपद की समस्त तहसीलों में शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिये आयेाजित किया जाता है। शासन द्वारा तहसील दिवस में आये प्रार्थना पत्रों को कम्प्यूटरीकरण करने की योजना बनायी गयी है। इसमें तहसील दिवस में प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र को 09 अंक का क्रमांक आंवटित किया जायेगा। (प्रथम दो अंक जिले का कोड, तृतीय अंक तहसील का कोड, चौथा एवं पांचवा अंक वर्ष का कोड तथा अन्तिम चार अंक 0001 से प्रारम्भ होकर जनवरी से दिसम्बर तक लगातार चलेंगे) प्रत्येक शिकायतकर्ता को शिकायत की प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें उक्त क्रमांक भी डाला जायेगा ओर शिकायत की श्रेणी भी निर्धारित की जायेगी (समस्त शिकायतें 10 श्रेणी में विभाजित की गयी है।) इस 09 अंक के क्रमांक से शिकायतकर्ता वेबसाइट(इन्टरनेट) के माध्यम से कहीं से भी अपने प्रार्थना पत्र की स्थिति एवं उस पर की गयी कार्यवाही देख सकेगा। रसीद बुक में प्रत्येंक रसीद दो प्रतियों में होगी। जिसमें एक प्रति शिकायतकर्ता के लिये एवं दूसरे रिकार्ड हेतु रसीद बुक में रहेगी। जनपद में एक से ज्यादा सूचना प्रोधोगिकी वैण्डर कार्य कर सकते है, परन्तु एक तहसील में एक ही वैण्डर कार्य आवंटित किया जायेगा।

वैण्डर द्वारा किये जाने वाले कार्य

वैण्डर द्वारा आये हुये समस्त प्रार्थना पत्रों की फोटोकापी/स्कैन करते हुये 24 घण्टे के अन्दर वेवसाइट पर प्रत्येक शिकायत की फीडिंग करेंगे। वैण्डर प्रत्येक दो दिवसों में उस अवधि में आयी सभी निस्तारण आख्यायें तहसील से प्राप्त कर उन्हें वेवसाइट पर फीड कर वापस कर देगे एवं समय समय पर आयी हुयी आख्याओं की भी फीडिंग करेंगे ताकि संबंधित शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की नवीनतम स्थिति से अवगत हो सके। इस प्रकार वैण्डर सतत् रूप से तहसील के सम्पर्क में रह कर कार्य को सम्पादित करेंगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु सभी व्यय तथा कम्प्यूटर, हाई स्पीड इन्टरनेट, जनरेटर, कनिकटीविटी, फोटोकापियर, प्रिन्टर, स्कैनर, जन शक्ति आदि वैण्डर द्वारा वहन किया जायेगा। वैण्डर को इस तरह के एवं डेटाप्रोसेसिंग के कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। उपरोक्त कार्य हेतु प्रत्येक तहसील में एक से ज्यादा वैण्डर कार्य नहीं करेंगे। संलग्न प्रारूप पर आवेदन करते समय 2000/— रूपये प्रति तहसहील की दर से बैंक ड्राफ्ट '' लोकवाणी रामपुर'' के नाम जमा करना अनिवार्य है। कुटेशन को स्वीकृत — अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नोडल अधिकारी तहसील दिवस कम्प्यटूरीकरण) महोदय को होगा। किसी वैण्डर का कार्य मानक के

अनुरूप नहीं हुआ तो उसका अनुबन्ध बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा, और सिकियोरटी भी जब्त कर ली जायेगी। पूर्ण किया हुआ सील्ड टैन्डर डाकूमेन्ट कुटेशन के साथ, डी0डी0 तथा कम्पनी प्रोफाइल के साथ दिनांक 14.07.08 को समय 02:00 तक शिकायत प्रकोष्ठ में रखी हुयी पेटी में जमा कर दे। टैन्डर दिनांक 14.07.08 को अपर जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट रामपुर में समय 03:00 बजे खोल दिये जायेगे।

तहसील दिवस कम्प्यूटरीकरण योजना का कुटेशन प्रारूप

फर्म का नाम व पता	
कनटेक्ट परर्सन फोन नवम्बर सहित	
व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नवम्बर	
श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन नम्बर	
जन शक्ति	
कम्प्यूटरों की संख्या	
इन्टरनेट कनेकटीविटी विवरण	
तहसीलों के नाम जिनके लिये कार्य करना चाहते है।	
प्रतिभूति धनराशि डी0डी0 का विवरण	

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता